अभिकर्ता (एजेंट) की नियुक्ति: नियम और खाली फ़ॉर्म

ज़िला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य चुनाव, पंचायत आम चुनाव 2026 · मतदान केन्द्र पर मतदान अधिकारी (PO) के लिए · MockPoll.com: अनौपचारिक प्रशिक्षण सामग्री, आयोग का प्रकाशन नहीं।

आयोग का आदेश: एफ. 7(1)(3)पंचा/रानिआ/14–15/9413, दिनांक 25.09.2026: निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति। इसके साथ लगे प्ररूप–8, प्ररूप–9 और प्रतिसंहरण फ़ॉर्म इस PDF के पृ. 3–5 पर हैं; आदेश की प्रति पृ. 7–9 पर। गणन अभिकर्ता का प्ररूप–10 और नियम 68–71 EVM मार्गदर्शिका 2026 से हैं (पृ. 6, 10–11)।

इस PDF में

1. नियम: कौन, कितने, किस फ़ॉर्म में **1**
2. तीनों अभिकर्ता क्या करते हैं **2**
3. मतदान के दिन बूथ पर: मतदान अधिकारी (PO) क्या जाँचे **2**
4. प्ररूप–8: निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति [आदेश 9413, पृ. 4] **3**
5. प्ररूप–9: मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति [आदेश 9413, पृ. 5] **4**
6. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण फ़ॉर्म [आदेश 9413, पृ. 6] **5**
7. प्ररूप–10: गणन अभिकर्ता की नियुक्ति [EVM मार्गदर्शिका, पृ. 130] **6**
8. आदेश 9413, पृ. 1–3 (आदेश की प्रति) **7–9**
9. नियम 68–71 [EVM मार्गदर्शिका, पृ. 171–172] **10–11**

1. नियम: कौन, कितने, किस फ़ॉर्म में

अभिकर्ता	कितने	फ़ॉर्म	कब और किसे
निर्वाचन अभिकर्ता	उम्मीदवार का एक	प्ररूप–8	नामांकन पत्र देते समय, या चुनाव से पहले किसी भी समय। [नियम 68(1), मार्गदर्शिका पृ. 171]
मतदान अभिकर्ता	हर मतदान बूथ पर उम्मीदवार का एक; उसका कोई रिलीवर नहीं [मार्गदर्शिका पृ. 7]	प्ररूप–9, दो प्रतियों में, उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर से	मतदान के दिन मतदान अधिकारी (PO) को पेश करेगा और उनके सामने घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा। [नियम 69(1), 69(2), मार्गदर्शिका पृ. 171] मतदान अधिकारी (PO) उसे सौंपी गई प्रति अपनी अभिरक्षा में रखेंगे [आदेश 9413, पृ. 1]; मार्गदर्शिका के नियम 69(2) में "दोनों प्रतियों" लिखा है [मार्गदर्शिका पृ. 171]।
गणन अभिकर्ता	गिनती की जितनी टेबलें, उतने; इनके अलावा एक रिटर्निंग अधिकारी की टेबल के लिए और एक रिलीवर	प्ररूप–10, दो प्रतियों में, उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर से	गिनती के दिन दूसरी प्रति रिटर्निंग अधिकारी (या नियम 58 में अधिकृत अधिकारी) को पेश करेगा और उनके सामने घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा। [नियम 70(2), 70(3), मार्गदर्शिका पृ. 171–172]

- **कौन मतदान अभिकर्ता बन सकता है:** पंचायत क्षेत्र का कोई भी मतदाता। उसके पास फोटो पहचान पत्र (EPIC) या आयोग का बताया कोई और दस्तावेज़ होना चाहिए। [आदेश 9413, पृ. 2]
- **कौन मतदान अभिकर्ता नहीं बन सकता:** केन्द्र या राज्य सरकार के कार्यकारी मंत्री, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य; स्थानीय निकायों के कार्यकारी निर्वाचित सदस्य; सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी निकायों और निगमों के अध्यक्ष और सदस्य; सरकार से मानदेय पाने वाले या सरकारी (या सरकारी सहायता वाले) संस्थान में पार्ट-टाइम काम करने वाले; ऐसे संस्थानों के पैरा-मेडिकल और हेल्थकेयर कर्मचारी; उचित मूल्य की दुकान के डीलर; आंगनवाड़ी कर्मचारी; और सरकारी सेवा में लगे लोग (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134–क में यह अपराध है)। सुरक्षा कवर वाला कोई व्यक्ति मतदान अभिकर्ता बनने के लिए अपनी सुरक्षा नहीं छोड़ सकता। [आदेश 9413, पृ. 2]
- जो व्यक्ति चुने जाने या वोट डालने के लिए अयोग्य है, वह अयोग्य रहने तक निर्वाचन अभिकर्ता नहीं बन सकता। [नियम 68(3), मार्गदर्शिका पृ. 171]
- **मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति रद्द करना:** मतदान शुरू होने से पहले किसी भी समय, हस्ताक्षर वाली लिखित घोषणा से (इस PDF का पृ. 5)। आदेश 9413: घोषणा की प्रति उस मतदान केन्द्र के मतदान अधिकारी के पास दी जाएगी जहाँ वह मतदान अभिकर्ता नियुक्त था, और साथ में नए मतदान अभिकर्ता का प्ररूप–9 भी। [आदेश 9413, पृ. 3; नियम 71(1), मार्गदर्शिका पृ. 172] घोषणा कहाँ दाखिल हो, इसके लिए नियम 71(2) में सात दिन की शर्त है: इस PDF का पृ. 11, जैसा छपा है।
- **नया मतदान अभिकर्ता:** नियुक्ति रद्द हुई हो या मतदान अभिकर्ता की मृत्यु हो जाए, तो मतदान खत्म होने से पहले किसी भी समय नियम 69 के हिसाब से नया अभिकर्ता रखा जा सकता है। उसका नियुक्ति पत्र: नियुक्ति मतदान शुरू होने से कम से कम सात दिन पहले हो तो रिटर्निंग अधिकारी को; बाकी हर मामले में (जैसे मतदान के दिन) रिटर्निंग अधिकारी को या उस बूथ के मतदान अधिकारी (PO) को, जहाँ नया अभिकर्ता नियुक्त हुआ है। [नियम 71(5), मार्गदर्शिका पृ. 172]
- पंच-सरपंच के लिए अलग नियम: पंच के चुनाव में कोई मतदान अभिकर्ता नहीं, उम्मीदवार खुद यह काम कर सकेगा; सरपंच के चुनाव में कोई निर्वाचन अभिकर्ता नहीं। [आदेश 9413, पृ. 3]

2. तीनों अभिकर्ता क्या करते हैं

अभिकर्ता	किस काम के लिए नियुक्त (फ़ॉर्म के शब्द)	और क्या कर सकता है
निर्वाचन अभिकर्ता (Election Agent) प्ररूप–8	उम्मीदवार उसे "उपर्युक्त निर्वाचन के लिए इस तारीख से" अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता है; रिटर्निंग अधिकारी अनुमोदित करते हैं। [आदेश 9413, पृ. 4] सिर्फ़ ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार के लिए [नियम 68(1)]; सरपंच के चुनाव में नहीं [आदेश 9413, पृ. 3]।	उम्मीदवार की ओर से मतदान अभिकर्ता (प्ररूप–9) और गणन अभिकर्ता (प्ररूप–10) नियुक्त कर सकता है [नियम 69(1), 70(2)]। बूथ में आ सकता है [नियम 24–क, मार्गदर्शिका पृ. 18]। मतदान के बाद लिफ़ाफ़ों पर और सबके सामने सील हुई मतदान मशीन पर चाहे तो हस्ताक्षर कर सकता है [मार्गदर्शिका पृ. 22, बिन्दु 15–16]।
मतदान अभिकर्ता (Polling Agent) प्ररूप–9	"मतदान बूथ सं. ... में उपस्थित होने के लिए" [आदेश 9413, पृ. 5]; हर बूथ पर उम्मीदवार का एक [नियम 69(1)]। पंच के चुनाव में नहीं होता [मार्गदर्शिका पृ. 18]।	बूथ में पीछे बैठता है। पहला सहायक मतदान अधिकारी हर मतदाता की प्रविष्टि ज़ोर से बोलता है ताकि वह सुन सके; उसी समय वह चाहे तो मतदाता की पहचान पर एतराज़ उठा सकता है [मार्गदर्शिका पृ. 25, बिन्दु 4]। लिफ़ाफ़ों और सील हुई मशीन पर चाहे तो हस्ताक्षर [पृ. 22]। घोषणा पर हस्ताक्षर से पहले बूथ पर कोई काम नहीं [नियम 69(2)]।
गणन अभिकर्ता (Counting Agent) प्ररूप–10	"मतगणना के लिए नियत स्थान ... पर गणना अभिकर्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए" [मार्गदर्शिका पृ. 130]।	गिनती के दिन रिटर्निंग अधिकारी (या नियम 58 में अधिकृत अधिकारी) के सामने घोषणा पर हस्ताक्षर करता है; तब तक उसे गिनती की जगह पर गणन अभिकर्ता का काम करने की अनुमति नहीं [नियम 70(3), मार्गदर्शिका पृ. 172]।

प्ररूप–9 और प्ररूप–10 में अभिकर्ता यह घोषणा करता है: "मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी बात नहीं करूंगा।" प्ररूप–8 में निर्वाचन अभिकर्ता सिर्फ़ नियुक्ति स्वीकार करता है। [आदेश 9413, पृ. 4–5; मार्गदर्शिका पृ. 130]

3. मतदान के दिन बूथ पर: मतदान अधिकारी (PO) क्या जाँचें

1. मतदान अभिकर्ताओं से कहें कि मतदान शुरू होने से एक घंटा पहले बूथ पर आ जाएँ। [मार्गदर्शिका पृ. 19]
2. कोई देर से आए, तब भी उसे कार्यवाही में शामिल होने दें; जो तैयारी हो चुकी, उसे उसके लिए दोबारा शुरू करने की ज़रूरत नहीं। [मार्गदर्शिका पृ. 19]
3. बूथ में आना सिर्फ़ प्ररूप–9 पेश करने पर। [मार्गदर्शिका पृ. 19]
4. रिटर्निंग अधिकारी आपको उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर भेजेंगे। प्ररूप–9 पर पहले से किए उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर उनसे मिलाएँ। [मार्गदर्शिका पृ. 19–20; आदेश 9413, पृ. 2]
5. मतदान अभिकर्ता आपके सामने फिर से हस्ताक्षर करेगा: फ़ॉर्म पर पहले से किए उसके हस्ताक्षर से इन्हें मिलाएँ। [मार्गदर्शिका पृ. 20]
6. प्ररूप–9 में छपी घोषणा पर वह आपके सामने हस्ताक्षर करेगा। जब तक वह यह नहीं करता, उसे बूथ पर कोई भी काम न करने दें। [नियम 69(2), मार्गदर्शिका पृ. 171] आपको सौंपी गई प्रति आप अपनी अभिरक्षा में रखें [आदेश 9413, पृ. 1]; मार्गदर्शिका के नियम 69(2) में "दोनों प्रतियों" लिखा है [मार्गदर्शिका पृ. 171]।
7. फिर उसे कागज़ का बैज दें, जिसे वह अपने शरीर पर लगाएगा; बैज लगाकर ही वह ज़रूरत के हिसाब से बूथ में आ-जा सकेगा। [मार्गदर्शिका पृ. 19–20]
8. बूथ के अंदर वह अपना नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र अपने पास रखेगा और दिखाएगा। [आदेश 9413, पृ. 2]
9. राजनीतिक नेताओं के नाम और/या चित्र वाले बैज और प्रतीक चिह्न आदि लगाए किसी भी व्यक्ति को बूथ के अंदर या उसके 100 मीटर तक न आने दें। [मार्गदर्शिका पृ. 19]
10. मतदान के बाद: दोनों चुनावों के प्ररूप–9, विविध कागज़ात के लिफ़ाफ़े PE-57 में (बिना सील), संग्रहण स्थल पर साधारणतः काउंटर 2 पर। [मार्गदर्शिका पृ. 108]

प्ररूप–9 पर छपी एक चूक: फ़ॉर्म में ऊपर छपा है कि घोषणा मतदान अभिकर्ता की है और पीठासीन अधिकारी के सामने हस्ताक्षर होने हैं, पर उस घोषणा के नीचे हस्ताक्षर की जगह पर "गणन अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर" छपा है। यहाँ मतदान अभिकर्ता ही हस्ताक्षर करेगा। [आदेश 9413, पृ. 5; नियम 69(2)]

मार्गदर्शिका की सामग्री सूची में प्ररूप–9 (Form-9 Appointment of Polling Agents) की 10 प्रतियाँ दर्ज हैं। [मार्गदर्शिका पृ. 177, क्रम 20]

पृष्ठ संख्या: मार्गदर्शिका = EVM मार्गदर्शिका, पंचायत आम चुनाव 2026 (छपे हुए पृष्ठ)। [] में स्रोत। आगे के पृष्ठ (3–11) आदेश 9413 और मार्गदर्शिका के पन्ने हैं, जैसे छपे हैं वैसे ही।

प्ररूप–8

(नियम 68 देखिए)

निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति का प्ररूप

मैं

*पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र संख्या..... से पंचायत समिति सदस्य

*निर्वाचन क्षेत्र सं..... से जिला परिषद के सदस्य के निर्वाचन का

जो को होने जा रहा है, अभ्यर्थी, इसके द्वारा

श्री को

(अभिकर्त्ता का नाम)

उपर्युक्त निर्वाचन के लिए इस तारीख से मेरे निर्वाचन अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ

स्थान

तारीख अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं उपर्युक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ।

स्थान

तारीख निर्वाचन अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर

अनुमोदित

स्थान

तारीख रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्ररूप–9

(नियम 69 देखिए)

मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति

*सरपंच, ग्राम पंचायत

*निर्वाचन क्षेत्र सं..... से पंचायत समिति के सदस्य

*पंचायत समिति/जिला परिषद की निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद के सदस्य;

मैं, अभ्यर्थीजो उपर्युक्त निर्वाचन का एक अभ्यर्थी है, का निर्वाचन अभिकर्त्ता इसके द्वारा

..... (नाम और पता)

को स्थान पर मतदान बूथ सं. में उपस्थित होने के लिए मतदान अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान
तारीख

.....
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने को सहमत हूँ।

स्थान
तारीख

.....
मतदान अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर

मतदान अभिकर्त्ता की घोषणा पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जानी है।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी बात नहीं करूंगा।

.....
मेरे समक्ष हस्ताक्षरित
गणन अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर

स्थान
तारीख

.....
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण फार्म

प्रेषितः–

पीठासीन अधिकारी,

मतदान केन्द्र सं.....

मतदान केन्द्र का नाम.....

महोदय,

मैं,उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी/उपर्युक्त निर्वाचन के अभ्यर्थी श्री/श्रीमती का निर्वाचन अभिकर्त्ता श्री/श्रीमती मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति का इसके द्वारा प्रतिसंहरण करता हूँ।

तारीख

.....

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

*सरपंच, ग्राम पंचायत
*निर्वाचन क्षेत्र सं.....से पंचायत समिति के सदस्य
*पंचायत समिति/जिला परिषद.....की निर्वाचन क्षेत्र सं..... से जिला परिषद के सदस्य

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्ररूप–10

(नियम 70 देखिए)

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

*निर्वाचन क्षेत्र सं..... से पंचायत समिति के सदस्य,

*पंचायत समिति/जिला परिषद की निर्वाचन क्षेत्र

से जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन

मैं, अभ्यर्थी

जो उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी है, का निर्वाचन अभिकर्ता

को इसके द्वारा

(नाम और पता)

मतगणना के लिए नियत स्थान पर गणना अभिकर्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए नियुक्त करता हूँ।

स्थान

तारीख अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान

तारीख गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किये जाने के लिए गणन अभिकर्ता की घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी बात नहीं करूंगा।

.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ. 7(1)(3)पंचा/रानिआ/14–15/9413 दिनांक : 25.09.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 – निर्वाचन अभिकर्त्ता, मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान पंचायतीराज(निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 68 एवं 69 के प्रावधान वर्णित है, जो निम्नानुसार है:–

"**68. Appointment of election agent and revocation of such appointment.-** (1) If a candidate seeking election to a Panchayat Samiti or Zila Parishad desires to appoint an election agent such appointment shall subject to the provisions of sub-rule (2) and (3), be made in form VIII either at the time of delivering the nomination paper or at any time before election. (2) The appointment of the election agent may be revoked by the the candidate at any time by a declaration in writing signed by him and lodged with the Returning Officer. Such revocation shall take effect from the date on which it is lodged. In the event of such revocation or in the event of the election agent dying before or during the period of the election, the candidate may appoint a new election agent in accordance with the provisions of sub-rule(1). (3) No person, who is for the time being disqualified under the Act from being elected or from voting at any election of Panchayat shall, so long as the disqualification subsists, be appointed as an election agent.

69. Appointment of polling agent :- (1) At an election at which poll is to take place for the office of Sarpanch or members of Panchayat Samiti or Zila-Parishad, any contesting candiate, or his election agent, may appoint one agent to act as polling agent of such candidate at each polling station. Such appointment shall be made by a letter in writing in duplicate in form IX signed by the candidate or his election agent.

(2) The candidate or his election agent shall deliver the duplicate copy of the letter of appointment to the polling agent who shall, on the date fixed for the poll present it to, and sign the declaration contained therein, before the Presiding Officer. The Presiding Officer shall retain the duplicate copy presented to him in his custody. No polling agent shall be allowed to perform any duty at the polling station unless he has complied with the provisions of this sub-rule.

उक्त नियम 69 के उप नियम (1) के अनुसार सरपंच, पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचनों में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसका चुनाव अभिकर्त्ता, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर उस उम्मीदवार के मतदान अभिकर्त्ता के तौर पर काम करने के लिए एक मतदान अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है। ऐसी नियुक्ति उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर वाले **"प्ररूप– 9"** में दो प्रतियों में लिखित पत्र के जरिए की जायेगी।

उप नियम (2) के अनुसार उम्मीदवार या उसका चुनाव अभिकर्त्ता नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि मतदान अभिकर्त्ता को देगा। मतदान अभिकर्त्ता मतदान की तय तारीख पर नियुक्ति पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसमें दिए गए घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे सौंपी गई प्रतिलिपि को अपनी अभिरक्षा में रखेगा। जब तक कोई मतदान अभिकर्त्ता इस उप–नियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता, तब तक उसे मतदान केन्द्र पर कोई भी काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1. **मतदान अभिकर्त्ता की अर्हताएंः–**

- **पंचायत क्षेत्र के किसी भी मतदाता को मतदान अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त कर सकते है।**
- **मतदान अभिकर्त्ता के पास फोटो पहचान पत्र (EPIC) या आयोग द्वारा बताए गए कोई अन्य वैकल्पिक दस्तावेज होने चाहिए।**

2. **मतदान अभिकर्त्ता की निरर्हताएंः–**

- उम्मीदवारों और राजनैतिक दलों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को मतदान अभिकर्त्ता और **वैकल्पिक मतदान अभिकर्त्ता बनने की अनुमति नहीं हैः**
 - केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का कार्यकारी मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद सदस्य।
 - स्थानीय निकायों के कार्यकारी निर्वाचित सदस्य।
 - केन्द्र व राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी निकायों/निगमों के अध्यक्ष और सदस्य।
 - सरकार से कोई मानदेय प्राप्त करने वाले या किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में पार्ट–टाइम काम करने वाले व्यक्ति।
 - सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले पैरा–मेडिकल/हेल्थकेयर कर्मचारी, उचित मूल्य की दुकान के डीलर, आंगनवाड़ी कर्मचारी।
 - सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134–क के तहत एक अपराध है और ऐसे नियुक्त व्यक्तियों को तीन माह की कैद, या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है)
- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सुरक्षा कवर वाले किसी भी व्यक्ति को चुनाव के दौरानी किसी उम्मीदवार के मतदान अभिकर्त्ता के रूप में काम करने के लिए अपनी सुरक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

3. **मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्तिः–**

- मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति **"प्ररूप– 9"** (राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 69) में की जानी चाहिए।
- **उक्त प्ररूप में** उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। मतदान अभिकर्त्ता को यह फॉर्म मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी को सौंपना होगा। मतदान अभिकर्त्ता को पीठासीन अधिकारी के सामने **"प्ररूप– 9"** में दिए गए घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- **पीठासीन अधिकारी** रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए उम्मीदवार/चुनाव अभिकर्त्ता के नमूना हस्ताक्षर(specimen signature) की जांच करके मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति की प्रमाणिकता की जांच करेंगे।
- **मतदान अभिकर्त्ता को मतदान केन्द्र के अन्दर रहने के दौरान अपना नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र अपने पास रखना होगा और दिखाना होगा।**

4. मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरणः–

उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्त्ता मतदान शुरू होने से पूर्व किसी भी समय अपने हस्ताक्षर वाले नियुक्ति प्रतिसंहरण लिखित घोषणा पत्र(प्रतिसंलग्न) के द्वारा मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति रद्द कर सकता है। ऐसी स्थिति में नियुक्ति प्रतिसंहरण घोषणा पत्र की प्रति उस मतदान केन्द्र के मतदान अधिकारी के पास प्रस्तुत की जायेगी, जहां मतदान अभिकर्त्ता को नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही नये मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति पत्र (प्ररूप–9) भी प्रस्तुत किया जायेगा।

5. मशीनों और चुनाव कागजों को सील करनाः–

- ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा उनसे संबंधित कैरिइंग केस में रखकर ईवीएम को सील किया जाता है। मतदान अभिकर्त्ता को केस पर हस्ताक्षर करने और सील लगाने की अनुमति होती है।

नोटः– 1. पंच पद के लिए कोई मतदान अभिकर्त्ता नहीं होगा। स्वयं अभ्यर्थी ही मतदान अभिकर्त्ता का कार्य कर सकेगा।

2. सरपंच पद के लिए कोई निर्वाचन अभिकर्त्ता नहीं होगा।

उक्तानुसार पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 7(1)(3)पंचा/रानिआ/14–15/9414–17 दिनांक : 25-09.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई–मेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

उप सचिव

MockPoll.com | page 9 of 11 | [SEC order 9413 dt 25.09.2026, p3]

कलक्टर को सूचित करेगा, जो अधिनियम की धारा 26 (2) के अधीन उप सरपंच की नियुक्ति के लिए सरकार को सूचित करेगा।

(9) पीठासीन अधिकारी उप–सरपंच के निर्वाचन का संक्षिप्त कार्यवृत्त तैयार करेगा।

67. पीठासीन अधिकारी उप–सरपंचः– जैसे ही और जब अधिनियम की धारा 20 के अधीन उप–सरपंच का उप–निर्वाचन आवश्यक हो जाये, रिटर्निंग अधिकारी सरपंच और पंचों पर, ऐसी बैठक की तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट करने वाले नोटिस की तामील के पश्चात् उनकी एक बैठक आयोजित करेगा और नियम 65 और नियम 66 के उपबंध, जहां तक शक्य हो, लागू होंगे।

अध्याय–10 अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता :–

68. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति का प्रतिसंहरण :–

(1) यदि पंचायत समिति या जिला परिषद् का निर्वाचन लडने वाला कोई अभ्यर्थी कोई निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना चाहता है तो ऐसी नियुक्ति, उप–नियम (2) और (3) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, या तो नामांकन पत्र के परिदान के समय या निर्वाचन से पूर्व किसी भी समय, प्ररूप–8 में की जायेगी।

(2) निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा किसी भी समय, स्व हस्ताक्षरित और पीठासीन अधिकारी के पास दाखिल किसी लिखित घोषणा द्वारा, प्रतिसंहत की जा सकेगी। ऐसा प्रतिसंहरण उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह दाखिल किया गया है। ऐसे प्रतिसंहरण की दशा में या निर्वाचन से पूर्व या उसकी अवधि के दौरान निर्वाचन अभिकर्ता के मर जाने पर, अभ्यर्थी उप–नियम (1) के उपबन्धों के अनुसार कोई नया निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जिसे पंचायत के किसी भी निर्वाचन में निर्वाचित होने से या मतदान करने से, अधिनियम के अधीन तत्समय निरर्हित कर दिया गया है, जब तक निरर्हता विद्यमान रहती है, निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

69. मतदान अभिकर्ता की नियुक्तिः–

(1) किसी निर्वाचन में, जिसमें सरपंच के पद या पंचायत समितियों या जिला परिषद् के सदस्यों के लिये मतदान होना है, कोई भी लडने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान बूथ पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये एक अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा। ऐसी नियुक्ति प्ररूप–9 में दो प्रतियों में लिखित, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पत्र द्वारा की जायेगी।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र दो प्रतियों में मतदान अभिकर्ता को परिदत्त करेगा जो मतदान के लिये नियत तारीख को पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे प्रस्तुत दोनों प्रतियों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा। किसी भी मतदान अभिकर्ता को मतदान बूथ पर किसी भी प्रकार के कर्त्तव्य के पालन के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा तब तक वह इस उपनियम के उपबंधों का पालन न करें।

70. गणन अभिकर्ता की नियुक्तिः–

(1) सरपंच के पद का निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी प्ररूप–10 में दो प्रतियों में लिखित किसी पत्र द्वारा दो से अधिक गणन अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकेगा।

(2) किसी पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचन चाहने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इतने गणन अभिकर्ता अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा

हस्ताक्षरित प्ररूप–10 में दो प्रतियों में लिखित पत्र द्वारा नियुक्त कर सकेगा, जितनी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतों की गणना के लिये उपलब्ध करायी गयी टेबिलों की संख्या हो, एक रिटर्निंग अधिकारी की टेबिल के लिए और एक अवमुक्ति (Reliever) अभिकर्ता के लिए।

(3) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति गणन अभिकर्ता को भी प्रदत्त करेगा जो मतों की गणना के लिए नियत तारीख को उसे रिटर्निंग अधिकारी को या नियम 58 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसके समक्ष उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा हस्ताक्षरित करेगा। ऐसा अधिकारी उसे प्रस्तुत की गई दूसरी प्रति अपनी अभिरक्षा में रखेगा। किसी भी गणन अभिकर्ता को मतों की गणना के लिए नियत स्थान पर करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा तब तक उसने इस उप–नियम के उपबंधों का पालन न कर लिया हो।

71. मतदान अभिकर्ता की मृत्यु पर नियुक्ति का प्रतिसंहरणः–

(1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को, अभ्यर्थी द्वारा मतदान के प्रारम्भ के पूर्व किसी भी समय उसके द्वारा हस्ताक्षरित किसी लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहत किया जा सकेगा।

(2) ऐसी घोषणा

(क) ऐसे मामले में, जिसमें नियुक्ति मतदान के प्रारम्भ से सात अन्यून दिन पूर्व प्रतिसंहत न की गई हो तो रिटर्निंग अधिकारी के पास दाखिल की जायेगी,

(ख) किसी भी अन्य मामले में रिटर्निंग अधिकारी के या उस मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी के पास दाखिल की जायेगी जहां मतदान अभिकर्ता को ड्यूटी के लिये नियुक्त किया गया था।

(3) यदि किसी अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता मतदान के प्रारम्भ के पूर्व मर जाये तो अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ऐसी मृत्यु के तथ्य की लिखित रिपोर्ट निम्नलिखित को तुरन्त करेगा–

(क) ऐसे मामले में, जिसमें मृत्यु मतदान के प्रारम्भ से सात से कम दिन पूर्व हुई हो, रिटर्निंग अधिकारी को और

(ख) किसी भी अन्य मामले में रिटर्निंग अधिकारी को या उस मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी को, जहां मतदान अभिकर्ता को ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया था।

(4) जब भी रिटर्निंग अधिकारी को उप–नियम (1) या (2) के अधीन की गई कोई भी घोषणा या रिपोर्ट प्राप्त हुई हो तो वह ऐसी घोषणा या यथास्थिति, रिपोर्ट उस मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी को तुरन्त सूचित करेगा, जहां ऐसे मतदान अभिकर्ता को ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया था।

(5) जहां मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति उप–नियम (1) के अधीन प्रतिसंहत की जाये या जहां मतदान अभिकर्ता मतदान बंद होने के पूर्व मर जाये वहां अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान बंद होने के पूर्व किसी भी समय नियम 69 के उप नियम (1) के उपबंधों के अनुसार कोई नया मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा;

परन्तु नये मतदान अभिकर्ता को नियुक्त करने का पत्र–

(क) ऐसे मामले में, जिसमें ऐसी नियुक्ति मतदान के प्रारम्भ से सात के अन्यून दिन पूर्व की जाये, रिटर्निंग अधिकारी को दिया जायेगा, और

(ख) किसी भी अन्य मामले में, रिटर्निंग अधिकारी को या उस मतदान बूथ के पीठासीन अधिकारी को दिया जायेगा जहां नया मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया गया है।